

भारत सरकार
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र

ट्रंबे,
मुंबई-400 085

ई- निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा सूचना सं:बीएआरसी/सीईडी/ईटी/22/2024-2025 दिनांक 05.09.2024

I. निविदा आमंत्रण सूचना के ब्यौरे

1. भारत के राष्ट्रपति की ओर से निविदा आमंत्रण प्राधिकारीद्वारा निम्नलिखित कार्यो हेतु उन पात्र ठेकेदारों से दो भागों (भाग 'क' तकनीकी वाणिज्यिक बोली एवं भाग 'ख'- वित्तीय बोली) में ई-निविदाकरण के माध्यम से ऑनलाईन मद-दर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं ।

i)	कार्य का नाम	: सेंट्रलकॉम्प्लेक्स, नॉर्थसाइट, बीएआरसी, ट्रॉम्बे, मुंबईकीविभिन्नमंजिलोंपरलकड़ीकेपैनलिंग, कांचकेदरवाजे, बढ़ईगीरीकार्यऔरअन्यसंबद्धकार्योकीडिजाइन, आपूर्ति, निर्माणऔरस्थापनाकरना ।
ii)	कार्यस्थल /पिन कोड	: सेंट्रलकॉम्प्लेक्स, नॉर्थसाइट, बीएआरसी, ट्रॉम्बे, मुंबई
iii)	कार्य /उत्पाद श्रेणी	: कार्य
iv)	आमंत्रित अधिकारी	: मुख्यअभियंता, सिविलइंजीनियरिंगप्रभाग
(v)	आमंत्रित अधिकारी का पता	: सिविलइंजीनियरिंगप्रभाग, भाभापरमाणुअनुसंधानकेंद्र, ट्रॉम्बे, मुंबई-400 085
(vi)	अनुमानित लागत (जीएसटी के बिना)	: ₹1,71,88,000/- (जीएसटीकोछोड़कर)
(vii)	बयाना राशि	: ₹3,43,760/-

(viii)	निविदादस्तावेजकीलागत	: शून्य
(ix)	निविदा प्रक्रिया शुल्क	: शून्य
(x)	कार्य की अवधि	: 243 (दोसौतैंतालीस)मानसूनअवधिसहितकैलेंडरदि न
(xi)	निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने के लिए प्रारंभ/अंतिम तारीख तथासमय	: https://eprocure.gov.in/eprocure/app वेबसाइटपरदिनांक 10.09.2024 (17.:00 बजे) सेदिनांक24.10.2024 15:00 बजे)तक।विस्तृतएनआईटीकेवलदेखनेकेलिएवेबसाइट www.भापअकेंद्र.gov.in या https://eprocure.gov.in/cppp/relatedlinks/ भापअकेंद्रपरजाएं।
(xii)	स्पष्टीकरणकी प्रारंभ तारीख तथा समय	: 10.09.2024 (17:00 बजे)
(xiii)	स्पष्टीकरणकी अंतिम तारीख तथा समय	: 25.09.2024 (17:00 बजे)
(xiv)	साइटयात्रा की तारीख तथा समय	: 25.09.2024 (17:00 बजे) कोयाउससेपहले
(xv)	बोली-पूर्व बैठक की तारीख तथासमय	: 30.09.2024 (11:00 Hrs.)
(xvi)	बोली-पूर्व बैठक का पता	: सिविलइंजीनियरिंगप्रभाग, भाभापरमाणुअनुसंधानकेंद्र, ट्रॉम्बे, मुंबई-400 085
(xvii)	बोलीप्रस्तुतकरनेकीप्रारंभतारीखतथासमय	: 09.10.2024 (11:00 बजे)
(xviii)	बोलीप्रस्तुतकरनेकीअंतिम तारीख तथासमय	: 24.10.2024 (15:00 बजे)
(xix)	बयाना राशि, जमा तारीख, समयतथाभेजने का पता।	: 28.10.2024 (15:00 बजे) बजेयाइससेपूर्वमात्राअनुभागकार्यालयमें, कमरानंबर 203, पहलीमंजिल, सीईडी, बीएआरसी, ट्रॉम्बे, मुंबई 400085 यानॉर्थगेटएग्जिटपोर्टल (संपर्कनंबर 022 2559 3119) केग्राउंडफ्लोर (सीढ़ीकेपास) मेंसीईडीकार्यालयमेंरखेड्रॉपबॉक्समें) एकसीलबंदलिफाफेमेंमुख्य, मात्राअनुभाग, सीईडी, कार्यकानामऔरएनआईटीसंख्याकाउल्लेखकर तेहुएसंबोधितकरतेहुएलिफाफेमें।मूलदस्तावेजों कोवरीयत: व्यक्तिगतरूपसेप्रस्तुतकरें।तथापि , डाकअथवाकूरियरद्वाराभेजेगएदस्तावेजोंपरभी

			विचारकियाजाएगाबशर्तेदिवेनिर्धारिततारीखएवं समयसेपहलेप्राप्तहोजातेहैं।
(xx)	बोली खोलने का समय/ ऑनलाइन भाग क खोलने की तारीख एवं समय	:	30.10.2024 (15:30 बजे)।
(xxi)	बोली खोलने का स्थान	:	सिविलइंजीनियरिंगप्रभाग, भाभापरमाणुअनुसंधानकेंद्र, ट्रॉम्बे, मुंबई-400 085
(xxii)	निविदाकर्ता वर्ग	:	निविदादस्तावेजकेअनुसार
(xxiii)	योग्य बोलीकर्ताओं की वित्तीय बोली (भाग ख) खोलने की तिथि	:	शुद्धिपत्र के माध्यम से नीचेवेबसाइटपर बाद की तारीख में अधिसूचित किया जाएगा https://eprocure.gov.in/eprocure/app
xxiv	निविदा की वैधता (दिनों तक)	:	180(एकसौअस्सी)

II. आरंभिकपात्रता मानदंड:

i) बोलीकर्ताउद्योगऔरआंतरिकव्यापारसंवर्धनविभाग (DPIIT), वाणिज्यऔरउद्योगमंत्रालयद्वाराजारीसार्वजनिकप्रापण (मेकइन्डियाकोवरीयता), आदेश 2017 (समय-समयपरसंशोधित) केअनुरूपहोगा।इसकेअलावाबोलीलगानेवालेकोविषयनिविदामेंप्रस्तावित % स्थानीयसामग्रीकेलिए (निविदादस्तावेजकापरिशिष्ट - डीदेखें) बोलीकेसाथअंडरटेकिंगभीजमाकरनीहोगी।

ii) 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता', 'क्लास-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' और 'गैर स्थानीय आपूर्तिकर्ता' की परिभाषा के लिए सार्वजनिक प्रापण (मेक इन्डिया को वरीयता), आदेश 2017 का संदर्भ लिया जाएगा। जब तक निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी द्वारा अपलोड किए गए बोलीपूर्वस्पष्टीकरण के माध्यम से स्पष्ट नहीं किया जाता है, कोई बोलीकर्ता इस निविदा में भाग लेने के लिए तब तक पात्र होगा यदि वे यह दर्शाने वाला एक वचनबद्ध प्रस्तुत करने में सक्षम हैं कि वे 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' हैं। जो बोलीकर्ता खुद को 'क्लास-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' के रूप में पाते हैं, वे भी भाग ले सकते हैं, बशर्ते वे संबंधित सरकारी विभाग/मंत्रालयों से उचित नोटिंग/घोषणा के साथ स्पष्टीकरण मांगकर इसके लिए सुझाव दें और ऐसे सुझावों के आधार पर विभाग द्वारा अपलोड किया गया बोलीपूर्व स्पष्टीकरण 'क्लास-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' की पात्रता को दर्शाता हो। तथापि, विनिर्दिष्टाबनुसार ऐसे मामलों में वर्क्स के प्रापण के लिए मैनुअल-2022 में अनिवार्य प्रापण वरीयता का पालन किया जाएगा। जो बोलीकर्ता 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' या 'क्लास-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' के रूप में वचनबद्धता प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें इस निविदा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2. बोलीकर्ता के पास निम्नलिखित होना चाहिए :

- (क) निविदाखुलनेकीतारीखसेपूर्वएकवर्षकेभीतरजारीराष्ट्रीयकृत/अनुसूचितबैंकसेकमसेकम₹ 68.75केबैंकऋणशोधनक्षमताप्रमाणपत्र।
- (ख) दिनांक31 मार्च 2023कोसमाप्तपिछले 3 वर्षोंकेदौरानऔसतवार्षिकवित्तीयटर्नोवरकमसेकम₹ 171.88होनाचाहिए।यहएकपंजीकृतचार्टर्डएकाउन्टेन्टद्वाराविधिवतलेखापरीक्षितहोनाचाहिए।
- (ग)31 मार्च 2023 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान दो वर्ष से अधिक में घाटा (कर के पश्चात लाभ हुआ हो) नहीं हुआ होना चाहिए। किसी पंजीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा हस्ताक्षरित लाभ हानि विवरण को ही इस पात्रता का प्रमाण माना जाएगा।
- (घ) सभी पूर्ण किये गये समान कार्यों के निष्पादन प्रमाण-पत्र, जिन्हें समान कार्यों के अनुभव के रूप में उद्धृत किया गया है।
- (च) जीएसटी, ईपीएफ (भविष्य निधि कोड के साथ) और ईएसआईसी के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र।
- (छ) स्थायीखातासं (पेन)।

3. बोलीकर्ता द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जाने वाले महीने से पूर्व के महीने के अंतिम दिन को समाप्त होने वाले पिछले 7 (सात) वर्षों में कम से कम प्रत्येक ₹ 68.75लाखके लागत के इसी प्रकार के 03 (तीन) कार्य या कम से कम ₹ 103.13लाखके लागत के इसी प्रकार के 02 (दो) कार्य या कम से कम ₹ 137.50लाखके लागत के इसी प्रकार का 01 (एक) कार्य संतोषजनक रूप से (कार्य के क्लायंट द्वारा निष्पादन प्रमाणपत्र पर आधारित) पूरा किया हो। निविदा प्रस्तुति की अंतिम तारीख से एक दिन पूर्व पूर्ण किए गए कार्य को भी मान्यता दी जाएगी और यदि केंद्र सरकार/राज्य सरकार अथवा राज्य सरकारों/ केंद्रीय स्वा।यत्क निकायों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पात्र समरूप प्रकार के कार्य निष्पाकदित नहीं किए गए हों, तो उसके लिए बोलीकर्ता को आयकर अभिलेख से विवरण प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तुत किए गए विवरण/अभिलेखों से समान कार्य के लिए ग्राहक से बोली कर्ता को भुगतान की पुष्टि करें।

इस उद्देश्य के लिए, 'समान कार्य की लागत' का अर्थ पूर्ण किए गए कार्य का सकल मूल्य होगा, जिसमें सभी कर शामिल होंगे, लेकिन जीएसटी शामिल नहीं होगा, जिसे ग्राहक द्वारा जारी किए गए पूर्णता प्रमाण पत्र में नोट किए गए कार्य के समापन मूल्य से प्राप्त/नोट किया जाएगा।

जीएसटी के कार्यान्वयन से पहले पूरे किए गए कार्यों के लिए, जीएसटी विशेष मूल्य प्राप्त करने के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र में उल्लिखित पूर्णता मूल्य को 1.12 (वैट 12% के पूर्व जीएसटी कर को छोड़कर) से विभाजित किया जाएगा। जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद पूरे किए गए कार्यों के लिए, (ए) यदि ग्राहक प्रमाणपत्र जीएसटी को छोड़कर पूर्णता मूल्य इंगित करता है तो उसे बिना किसी व्युत्पत्ति के माना जाएगा, (बी) यदि ग्राहक प्रमाणपत्र जीएसटी के बारे में चुप है या जीएसटी सहित मूल्य इंगित करता है, तो बोली लगाने वाला परिशिष्ट के रूप में पूर्णता प्रमाणपत्र के साथ अपने लेटर हेड पर, चार्टर्ड

अकाउंटेंट द्वारा जीएसटी के बिना पूर्णता के मूल्य को विधिवत प्रमाणित करके जमा करना होगा और चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित मूल्य को जीएसटी के अलावा पूर्णता मूल्य के रूप में माना जाएगा। (सी) यदि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जीएसटी के बिना प्रमाणित पूर्णता मूल्य प्रस्तुत नहीं किया है और ग्राहक प्रमाणपत्र जीएसटी पर पूर्णता मूल्य के बारे में चुप है , तो जीएसटी को छोड़कर पूर्णता मूल्य प्राप्त करने के लिए ग्राहक प्रमाणपत्र में नोट किए गए पूर्णता मूल्य को 1.18 से विभाजित किया जाएगा।।

इसप्रयोजनहेतु

“कार्यकीलागत”

कातात्पर्यहैपूरेहुएकार्यकीसकललागतजिसमेंसरकार/क्लायंटद्वाराआपूर्तिकीगयीसामग्रियोंकीलागतशामिलहैं,

लेकिनइसमेंनिःशुल्कआपूर्तिकीगयीसामग्रीशामिलनहींहोगी।इसीप्रकारकेकार्यकातात्पर्य **“किसीभीप्रकारकाबढ़ईगीरीकार्य/आंतरिककार्य/इनकासंयोजन।”**समानकार्यभारतमेंनिष्पादितकियाहुआहोना चाहिए।

4. निष्पादित कार्य के मूल्य को 7% प्रति वर्ष की सामान्य दर पर कार्य की वास्तविक मूल्य में वृद्धि करते हुए वर्तमान लागत स्तर तक लाया जाएगा जिसका परिकलन पूर्णता की तारीख से निविदाओं के लिए आवेदन प्राप्त की आखिरी तारीख तक किया जाएगा ।
5. ठेकेदार की बोली क्षमता निविदा में दिए गए कार्य की अनुमानित लागत के समतुल्य या उससे अधिक होनी चाहिए। बोली क्षमता का हल निम्नलिखित सूत्र द्वारा निकाला जाएगा ।

$$\text{बोली क्षमता} = [A \times N \times 2] - B$$

जहां A =पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी एक वर्ष में निष्पादित कार्यों का मूल्य जिसमें पूर्ण कार्य तथा प्रगति पर कार्य दोनों को ध्यान में रखा जाएगा । पुरे किए गए कार्यों के मूल्य को 7% की वार्षिक सामान्य दर पर बढ़ाते हुए वर्तमान लागत पर लाना होगा।

N =जिस कार्य के लिए बोली आमंत्रित की गई है उसकी पूर्णता के लिए निर्धारित वर्ष की संख्याक ।

B =विद्यमान प्रतिबद्धताओं एवं जिस कार्य के लिए बोली आमंत्रित की गई है उसकी पूर्णता की अवधि के दौरान पूर्ण होने वाले चालू कार्यों का मूल्य ।

बोली क्षमता की गणना बोली कर्ता द्वारा समर्थक डेटा के साथ किया जाएगा और सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। निविदा मूल्यांकन के दौरान काम पूरा होने/कार्य प्रदान के कारण उपरोक्त बोली क्षमता में परिवर्तन की सूचना भी बोलीकर्ताओं द्वारा दी जाएगी।

6. बोलीकर्ता भारत में एक पंजीकृत फर्म होना चाहिए ।

III. सूचना :

7. निविदादस्तावेजदोभागोंमेंअर्थातभाग 'क' निविदादस्तावेजदोभागोंमेंअर्थातभाग 'क' (तकनीकीबोली) एवंभाग 'ख' (कीमतबोली) मेंतैयारकियागयाहै।भाग 'क' में : खंड I- सूचनाई-टेंडरआमंत्रित (अंग्रेजीऔरहिंदीसंस्करण)खंड II- अनुबंध, ज्ञापन, केमार्गदर्शनकेलिएसमझौतेकेद्वितीयप्रपत्रऔरसामान्यनियमऔरनिर्देश, खंड III- अनुबंधकीसामान्यशर्तें, अतिरिक्तशर्तें, खंड IV-निविदाकारोंकेलिएविशेषनिर्देश, खंड V- तकनीकीविनिर्देश, खंड VI-निविदाचित्रकीसूची, खंड VII-अनुसूचीए (विभागद्वारापूर्तिकीजानेवालीसामग्रीकीअनुसूची), परिशिष्ट 'बी'-प्रदर्शनसुरक्षाकेलिएबीजीबॉन्डकारूप, परिशिष्ट 'C'- सुरक्षितअग्रिमकेलिएइंडेंट्योर (सिविलनिर्माणकार्यकेलिएलागू), परिशिष्ट 'डी'- वॉटरप्रूफिंगकार्योंकेलिएगारंटीबॉन्ड (सिविलकार्योंकेलिएलागू), परिशिष्ट 'ई' - दीमकविरोधीउपचारकेलिएगारंटीबॉन्ड (सिविलकार्योंकेलिएलागू), अनुलग्नक 'ए'- मानवशक्तिऔरमशीनरीकाविवरण, निविदादस्तावेजोंकेसभीशुद्धिपत्र, अनुलग्नक 'बी'- निर्माणसामग्रीकेअनुमोदितनिर्माताकीसूची (सिविलकार्योंकेलिएलागू) औरअनुसूचियों 'ए' से 'एफ' काप्रोफार्मा।भाग 'ख'(वित्तीयबोली) मेंअनुसूची 'बी'- मात्राओंकीअनुसूचीशामिलहै।सफलबोलीकर्ताकोकार्यसौंपेजानेकेबादउपरोक्तसभीदस्तावेजअनुबंधकाहिस्साहोंगे।सफलबोलीकर्ताकोकार्यसौंपेजानेकेबादउपरोक्तसभीदस्तावेजअनुबंधकाहिस्साहोंगे।

निविदा दस्तावेजोंwww.barc.gov.in की प्राप्ति : भावी बोलीकर्ता या सामान्य,जन उक्तु दस्तावेजों को वेबसाइट •Tenders and NITs•Other Information से निःशुल्क देख सकते हैं एवं इसके पीडीएफ फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते। को दोनों वेबसाइटों का संदर्भ लेना चाहिए और निविदा दस्तावेजों का पूरा सेट प्राप्त करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करें। केवल एक साइट का देखने पर आंशिक निविदा दस्तावेज ही मिल सकता है।

IV. सीपीपी वेबसाइट में ई निवेदा के लिए दिशा निर्देश

सीपीपी पोर्टल पर निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए , संभावित बोलीकर्ताओं को एक वैध Calss III डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है। निविदा की पात्रता मानदंड से संबंधित सभी दस्तावेज केवल सीपीपीपी पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए जाने चाहिए। नीचे दिए गए निर्देश बोलीकर्ताओं को सीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण करने , आवश्यकताओं के अनुसार अपनी बोलियां तैयार करने और सीपीपी पोर्टल पर अपनी बोलियां ऑनलाइन जमा करने में सहायता करने के लिए हैं।

सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन बोलियां जमा करने के लिए उपयोगी अधिक जानकारी यहां प्राप्त की जा सकती है

:<https://eprocure.gov.in/eprocure/app>

8. पंजीकरण:

- i. बोलीकर्ताओंकोसीपीपीपोर्टलपर "ऑनलाइनबोलीकर्तानामांकन"
लिंकपरक्लिककरकेकेंद्रीयसार्वजनिकप्रापणपोर्टल
(यूआरएल:<https://eprocure.gov.in/eprocure/app>) केई-
प्रोक्योरमेंटमाँड्यूलपरनामांकनकरनाआवश्यकहै।पोर्टलजोनिःशुल्कहै ।
- ii. नामांकनप्रक्रियाकेभागकेरूपमें,
बोलीकर्ताओंकोएकविशिष्टउपयोगकर्तानामचुननाहोगाऔरउनकेखातोंकेलिएएकपासवर्डअसाइनकरें
।
- iii. बोलीकर्ताओंकोसलाहदीजातीहैकिवेपंजीकरणप्रक्रियाकेहिस्सेकेरूपमेंअपनावैधईमेलपताऔरमोबाइल
नंबरपजीकृतकरें।इनकाउपयोगसीपीपीपोर्टलसेकिसीभीसंचारकेलिएकियाजाएगा।
- iv. नामांकनकेबाद, बोलीकर्ताओंकोअपनेप्रोफाइलकेसाथसीसीएंडिया (जैसेसिफी / एनकोड /
ईमुद्राआदि)
द्वारामान्यताप्राप्तकिसीभीप्रमाणनप्राधिकरणद्वाराजारीअपनेवैधडिजिटलहस्ताक्षरप्रमाणपत्र
(हस्ताक्षरकुंजीउपयोगकेसाथतृतीयश्रेणीकेप्रमाणपत्र) कोपंजीकृतकरनेकीआवश्यकताहोगी ।
- v. एकबोलीदाताद्वाराकेवलएकवैधडीएससीपंजीकृतकियाजानाचाहिए।कृपयाध्यानदेंकिबोलीकर्तायहसु
निश्चितकरनेकेलिएजिम्मेदारहैंकिवेअपनेडीएससीकोदूसरोंकोउधारनहींदेतेहैंजिससेदुरुपयोगहोसक
ताहै ।
- vi. बोलीकर्तातबसाइटपरसुरक्षितलॉग-इनकेमाध्यमसेअपनायूजरआईडी/पासवर्डऔरडीएससी/ई-
टोकनकापासवर्डदर्जकरकेलॉगइनकरताहै ।
9. निविदादस्तावेजोंकीखोज:
- i. विविधमानककेअनुसारसेसयनिविदाकीखोजमेंबोलीकर्ताकीसहायताकेलिएसीपीपीपोर्टलमेंखोजके
कईविकल्पउपलब्धकरवाएगएहैं।इनमानकमेंनिविदाआईडी , संगठनकानाम, स्थान, तारीख,
मूल्यइत्यादीशामिलहैं।निविदाओंकीप्रगतखोजकेलिएभीएकविकल्पहैजिसमेंबोलीकर्ताएकसेअधिक
मानकोंजैसेकिसंगठनकानाम, संविदाकाप्रकार, स्थान, तारीखअन्यकी-
वर्डइत्यादीकोलतेहुएसीपीपीपोर्टलपरप्रकाशितनिविदाकीखोजकरसकतेहैं।
- ii. जिसनिविदामेंबोलीकर्ताकीरुचीहै, उसकेचयनकेपश्चात ,
वेआवश्यकदस्तावेजनिविदासमयसारणीडाउनलोडकरसकतेहैं।इननिविदाकोसंबंधित 'My
Tenders' नामकफोल्डरमेंसंचितकियाजासकताहै।इसकेफलस्वरूप ,
निविदादस्तावेजमेंशुद्धीपत्रजारीकिएजानेकीस्थितिमेंसीपीपीपोर्टलकीओरसेएसएमएस/ ई-
मेलकेमाध्यमसेबोलीकर्ताकोसूचनाप्रेषितकीजासकेगी।
- iii. बोलीकर्ता,
प्रत्येकनिविदाकोप्रदानकीगईयूनीकनिविदाआईडीकोनोटकरलेताकिहेल्पडेस्कसेस्पष्टीकरण/
सहायता, यदिआवश्यकहो, तोवहसुगमतासेप्राप्तहोसके।
10. बोलियोंकीतैयारी :

- i. बोलीकर्ताकोनिविदादस्तावेजकेसंबंधमेंप्रकाशितशुद्धीपत्रमेउल्लिखितबिंदुओंकोध्यानमेंरखतेहुएनिविदादस्तावेजप्रस्तुतकरनेचाहिए।
- ii. कृपयाबोलीकेएकभागकेरूपमेंप्रस्तुतकिएजानेवालेदस्तावेजोंकोसमझनेकेलिएनिविदाविज्ञापनएवंनिविदादस्तावेजकोध्यानसेपढ़ले।कृपयाबोलीदस्तावेजोंकोप्रस्तुतकरनेहेतुलिफाफोंकीसंख्या, प्रस्तुतकिएजानेहेतुअपेक्षितप्रत्येकदस्तावेजकानामएवंविषयवस्तुसहितदस्तावेजोंकीसंख्यानोटकरले।उक्तबिंदुसेकिसीभीप्रकारकाविचलनहोनेपरबोलीकोअस्वीकारकियाजासकताहै। बोलीकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा प्रस्तुत किसी भी डेटा/दस्तावेज/पत्राचार के माध्यम से किसी भी मूल्य बोली की जानकारी का खुलासा नहीं किया जाए और मूल्य बोली खोलने की निर्धारित तिथि से पहले देखने के लिए उपलब्ध न हो। यदि कोई मूल्य बोली की जानकारी निर्धारित मूल्य बोली खोलने की तारीख और समय से पहले प्रकट की जाती है तो निविदा को तुरंतअस्वीकृतकर दिया जाएगा।
- iii. बोलीकर्ताकोनिविदादस्तावेज/समयसारणीमेंयथावर्णित, प्रस्तुतकिएजानेवालेनिविदा दस्तावेजपहलेसेहीतैयारकरकेरखलेनेचाहिएतथासामान्यीत येदस्तावेज PDF / XLS / RAR / DWF/JPG फोर्मेटमेंहोसकतेहै।बोलीनिविदा दस्तावेजब्लैकएंडव्हाइटविकल्पसहित 100 dpi केसाथस्कैनकरलिएजाएताकिस्कैनकिएगएदस्तावेजकासाइजकमहोसके।
- iv. प्रत्येकबोलीकेएकभागकेरूपमेंप्रस्तुतकिएजानेवालेमानकदस्तावेजोंकेसमानसेटकोहरबारअपलोडकरनेमेंलगनेवालेसमयएवमेहनतसेबचनेकेलिए, ऐसेमानकदस्तावेजों (उदाहरणार्थपैनकार्डकीप्रति, वार्षिकरिपोर्ट, लेखापरीक्षकप्रमाणपत्रइत्यादी) कोएकबारगीअपलोडिंगकाप्रावधानबोलीकर्ताकेलिएउपलब्धकरवायागयाहै।ऐसेदस्तावेजोंकोअपलोड करनेकेलिएबोलीकर्ताउन्हेउपलब्धकराएगए "My Space" या "Other Important Documents" जैसेएरियाकाउपयोगकरसकतेहै।बोलीप्रस्तुतकरतेसमयइनदस्तावेजोंकोसीधे "MySpace" एरियासेजमा कियाजासकताहैतथाउन्हेंबार-बारअपलोडकरनेकीआवश्यकतानहींहै।इसकेपरिणामस्वरूपबोलीप्रस्तुतिप्रक्रियामेंकमसमयलगेगा।

टिप्पलणी: My Documents"यहस्पेसकेवलएकसंग्रहक्षेत्रहैजोबोलीकर्ताकोअपलोडिंग प्रक्रि या में सहायताहेतुउपलब्धकरवायागयाहै।यदिबोलीकर्ताने "My Documents" स्पेस में अपनेदस्तावेजअपलोडकरदिए है, तो इससे यह बात स्वतः सुनिश्चितनहीं हो जाती की ये दस्तावेज तकनीकीबोलीकाएकभागहोचुकेहै ।

11. बोलियोंकीप्रस्तुति :

- i. बोलियांसीपीपीवेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> परऑनलाइनप्रस्तुतकीजाएंगी।
- ii. बोलीकर्ताको, पर्याप्तसमयपूर्ववेबसाइटपरलॉगिनकरलेनाचाहिएताकिवेसमयपरअर्थातनिर्धारिततारीखकोयाउस

से पूर्व बोली को अपलोड कर सके। अन्य कारण से,
किसी भी प्रकार के विलंब के लिए बोलीकर्ता जिम्मेदार होंगे।

- iii. निविदा दस्तावेज में बताए गए अनुसार बोलीकर्ता को सभी आवश्यक बोली दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर करने होंगे तथा एक-एक करके उन्हें अपलोड करनी होगी।
- iv. यथा लागू निविदा शुल्क/ ईएमडी का भुगतान करने के लिए बोलीकर्ता को भुगतान विकल्पन में "ऑफलाइन" का चयन करना होगा तथा भुगतान के माध्यम का विवरण भरना होगा।
- v. बोलीकर्ता को निविदा दस्तावेज में निर्धारित अनुदेशों के अनुसार ईएमडी तैयार करनी होगी। उसकी मूल प्रति को डाक द्वारा/कुरियर से/ व्यक्तिगत रूप से संबंधित पदाधिकारी को, बोली प्रस्तुत की अंतिम तिथि तक या उससे पूर्व या निविदा दस्तावेज में यथा निर्धारित समयानुसार अग्रेषित करनी होगी। प्रत्यक्ष रूप से भेजे गए डीडी/ भुगतान के किसी अन्य स्वीकृत माध्यम से किए गए भुगतान का विवरण स्कैन की हुई प्रति में उपलब्ध विवरण एवं बोली प्रस्तुत के समय भरे गए डाटा से मेल खाना चाहिए अन्यथा अपलोड की गई बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- vi. एजेन्सी को कार्य से संबंधित बोली पूर्व स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, तो उससे डाउनलोड करना होगा और उसे (स्कैन की गई प्रति) मोहर सहित हस्ताक्षर के साथ अपलोड करना है। संशोधित दस्तावेज (यदि कोई हो) को उन्हें ईनिविदा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। बोलीकर्ता द्वारा बोली प्रस्तुत करने का यह अर्थ होगा कि वे काम के पूरे दायरे को समझ गए हैं और विभाग द्वारा अपलोड किए गए पूर्व-बोली स्पष्टीकरण दस्तावेज के माध्यम से संशोधन सहित सभी निविदा शर्तों के पालन के लिए सहमत हैं।
- vii. बोलीकर्ता कृपया ध्यान दें कि वे अपनी वित्तीय बोलियां, उन्हें उपलब्ध करवाए गए प्रारूप में ही प्रस्तुत कर तथा आवश्यक कोई भी प्रारूप स्वीकार्य नहीं होगा। यदि मूल्य की बोली को निविदा दस्तावेज सहित मानक BOQ प्रारूप के रूप में उपलब्ध करवाया गया है, तो सभी बोलीकर्ताओं द्वारा उसी डाउनलोड किया जाना होगा और उसमें ही विवरण भरना होगा। बोलीकर्ता को BOQ फाइल डाउनलोड करनी होगी, उसे खोलना होगा एवं आसमानी रंग के खानो (परिवर्तनीय) में संबंधित वित्तीय कोट एवं अन्य विवरण (जैसे कि बोलीकर्ता का नाम) भरना होगा। किसी अन्य खाने में कोई परिवर्तन नहीं करना है। समस्त विवरण भरने के पश्चात, बोलीकर्ता को फाइल सेव करनी चाहिए तथा फाइल का नाम अपरिवर्तित रखते हुए उसे ऑनलाइन प्रस्तुत करना चाहिए। यह पाए जाने पर कि बोलीकर्ता द्वारा फाइल में परिवर्तन किया गया है, बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- viii. निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पर्याप्त समय पूर्व ही अपने दस्तावेज अपलोड कर लेता कि सर्वर पर अंतिम समय पर होने वाली व्यस्तता या अपलोड करने में किसी प्रकार के जटिलता की स्थिति से बचा जा सके। दस्तावेज अपलोड करने के दौरान किसी भी प्रकार की कठिनाइयों जिसमें सर्वर एवं तकनीकी समस्याएं भी शामिल हैं, के लिए आप अकेले किसी भी हाल में जिम्मेदार नहीं होंगे।

- ix. बोलीकर्ताओंद्वाराबोलियांजमाकरने,
बोलियांखोलनेआदिकीसमयसीमाकोसंदर्भितकरनेकेलिएसर्वसमय
(जोबोलीकर्ताओंकेडैशबोर्डपरप्रदर्शितहोताहै)
मानकसमयमानाजाएगा।बोलीकर्ताओंकोबोलीजमाकरनेकेदौरान समयकापालनकरनाचाहिए।
- x. नियततारीखएवंसमय (समय-विस्तारसहित)
केपश्चातनिविदादस्तावेजकोप्रस्तुतकरनेकीअनुमतीनहींहै।
- xi. डेटाकीगोपनीयतासुनिश्चितकरनेकेलिएबोलीकर्ताओंद्वाराप्रस्तुतकिएजारहेसभीदस्तावेजोंकोपीके
आईएन्क्रिप्शनतकनीककाउपयोगकरकेएन्क्रिप्टकियाजाएगा।दर्जकिएगएडेटाकोअनधिकृतव्य
क्तियोंद्वाराबोलीखुलनेकेसमयतकनहींदेखाजासकताहै।सुरक्षितसॉकेटलेयर 128
बिटएन्क्रिप्शनतकनीककाउपयोगकरकेबोलियोंकीगोपनीयताबनाएरखीजातीहै।संवेदनशीलक्षेत्रों
काडेटाभंडारणएन्क्रिप्शनकियाजाताहै।कोईभीबोलीदस्तावेजजोसर्वरपरअपलोडकियाजाताहै,
सिस्टमद्वाराउत्पन्नसममितकुंजीकाउपयोगकरकेसममितएन्क्रिप्शनकेअधीनहोताहै।इसकेअला
वायहकुंजीखरीदारों/बोलीखोलनेवालेकीसार्वजनिककुंजीकाउपयोगकरकेअसममितएन्क्रिप्शनकेअ
धीनहै।कुलमिलाकर,
अपलोडकिएगएनिविदादस्तावेजअधिकृतबोलीखोलनेवालोंद्वारानिविदाखोलनेकेबादहीपढ़नेयोग्य
होजातेहैं।
- xii. अपलोडकिएगएनिविदादस्तावेजअधिकृतबोलीखोलनेवालोंद्वारानिविदाखोलनेकेबादहीपढ़नेयोग्य
होजातेहैं।
- xiii. बोलियोंकोसमयपरसफलतापूर्वकअपलोडकरनेपर (अथार्तपोर्टलमें “Freeze Bid
Submission” क्लिककरनेकेपश्चात)
पोर्टलपरसफलबोलीप्रस्तुतिकासंदेशप्रदर्शितहोगातथाबोलीसंख्यातथाबोलीप्रस्तुतिकीनियततारीख
एवंसमयएवंअन्यसंगविवरणसहितबोलीसारांशप्रदर्शितहोगा।
- xiv. बोलीसारांशमुद्रितकियाजानाचाहिएऔरबोलीप्रस्तुतकरनेकीपावतीकेरूपमेंरखाजानाचाहिए।इसपा
वतीकाउपयोगकिसीभीबोलीखोलनेकीबैठककेलिएप्रवेशपासकेरूपमेंकियाजासकताहै।
- xv. इच्छुकबोलीकर्ताकोयहसलाहदीजातीहैकिवेबोलीप्रस्तुतिकेअंतिमतारीखतकइसवेबसाइटदकोनियि
मतरूपसेदेखेता किवे,
शुद्धिपत्र/अनुशेष/संशोधनद्वारावेबसाइटकेमाध्यमसेनिवदामेकिएगएपरिवर्तन/आशोधनसंबंधी
जानकारीकेबारेमेंअध्ययितरहे।
- xvi. निविदा की कुछ वस्तुओं/सामग्री की तकनीकी विनिर्देश , बोलीकर्ताओं के लिए प्रदर्शन
मापदंडों और निविदा विनिर्देशों से मिलान हेतु सामान्य सिफारिश और मार्गदर्शन के रूप
में मेक और ब्रांड का सुझाव देती हैं। तथापि, बोलीकर्ता, प्रदर्शन मापदंडों और निविदा
विनिर्देशों को प्राप्त करने के अधीन वैकल्पिक/समतुल्य मेक और ब्रांड का सुझाव दे
सकते हैं, इस संबंध में वे प्रमाणित करने के लिए तकनीकी विवरण प्रदान करेंगे। सभी
बोलीकर्ताओं के लिए समान अवसर और निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रतिपादन सुनिश्चित
करने के लिए और कार्य के निष्पादन के दौरान देरी से बचने के लिए, बोली जमा करने
से पहले बोली-पूर्व स्पष्टीकरण चरण वैकल्पिक मेक/ब्रांड का सुझाव देने और जमा किए

गए तकनीकी विवरणों के उचित सत्यापन के बाद अपलोड किए गए बोली-पूर्व स्पष्टीकरण दस्तावेज में विभाग द्वारा उसे मान्यता देने के लिए उपयुक्त चरण है। कार्य प्रदान करने के पश्चात, ठेकेदार द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक/समतुल्य मेक की स्वीकृति/अस्वीकृति (यदि कोई हो) बताने में लगने वाले समय के कारण होने वाली देरी के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा। मर्दों/सामग्रियों के उच्च विनिर्देशन/प्रदर्शन के कारण अतिरिक्त लागत का भुगतान नहीं किया जाएगा।

12. बोलीकर्ताओंकोसहायता:

1. निविदादस्तावेज और उसमें निहित नियमों और शर्तों से संबंधित किसी भी प्रश्न को निविदा के लिए निविदा आमंत्रण प्राधिकारी या निविदा में इंगित संबंधित संपर्क व्यक्ति को संबोधित किया जाना चाहिए।
2. निविदादस्तावेज और उसमें निहित नियमों और शर्तों से संबंधित किसी भी प्रश्न को निविदा के लिए निविदा आमंत्रण प्राधिकारी या निविदा में इंगित संबंधित संपर्क कोई भी प्रश्न या सामान्य रूप से सीपीपी पोर्टल से संबंधित प्रश्नों को 24x7 सीपीपी पोर्टल हेल्पडेस्क को निर्देशित किया जा सकता है।

शर्तें :

13. निविदा के भाग 'क' के खुलने के पश्चात, निविदा आमंत्रण प्राधिकारी एक निरीक्षण दल गठित कर सकते हैं जिसके द्वारा निम्नलिखित आधार पर निविदाकारों की क्षमता का मूल्यांकन किया जा सके:-
 - a) वित्तीय क्षमता यानी बैंक सॉल्वेंसी ।
 - b) पिछले 3 या 4 वर्षों के दौरान टर्न ओवर ।
 - c) पिछले 5 या 6 वर्षों के दौरान लाभ हानि।
 - d) समान कार्यों का सफल समापन और गुणवत्ता ।
 - e) बोलीकर्ता का पैन, जीएसटी, ईएसआईसी प्राधिकारियों के साथ पंजीकरण ।
 - f) निविदा दस्तावेज के परिशिष्ट डी के अनुसार स्थानीय सामग्री की घोषणा % में, साथ ही संबंधित दस्तावेज "यदि कोई हो"।

बोलीकर्ताओं की पात्रता के संबंध में पुष्टिकरण के लिए विभाग द्वारा ई-मेल के माध्यम से अतिरिक्त/वैकल्पिक/प्रतिस्थापित दस्तावेज मांगे जाएंगे। इस प्रकार मांगे गए दस्तावेज पात्रता पर निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत समय के भीतर उत्तर मेल द्वारा प्रस्तुत किए जाए। यदि आवश्यक दस्तावेज अनुमत समय के भीतर उत्तर मेल द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी।

14. विभाग कार्य को पूरा करने के लिए बोली लगाने वाले की क्षमता और तत्परता का भी आकलन करेगा और आवश्यक सुधारों पर प्रकाश डालेगा ।

ए) कार्य के संबंध में कंपनी की तकनीकी क्षमता।

- बी) पिछले 7 वर्षों के दौरान निविदाकार द्वारा निष्पादित कार्यों का स्वरूप।
सी) कंपनी की संघटनात्मक संरचना ।
डी) विषयगत कार्य को करने के लिए कंपनी द्वारा अपेक्षित आवश्यक संसाधन ।
ई) समय एवं गुणवत्ताय सजगता ।
एफ) असंगत दावों और विवादों के बारे में कंपनी की प्रवृत्ति ।
जी) स्थाल नियोजन क्षमता ।
एच) कार्य को बैक टू बैक/उप किराएदारी संबंधी कंपनी की प्रवृत्ति ।

15. भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र में लागू सुरक्षा प्रक्रिया के अनुसार , कार्यशुरू करने से पहले भाषा केंद्र के सुरक्षा अनुभाग द्वारा ठेकेदारों की जांच की जाएगी ।

16. निविदा के भाग 'क' के खुलने के बाद निविदा में किसी प्रकार के संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी

17. किसी शर्त या सशर्त छूट वाली निविदाओं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। फिर भी जिन निविदाओं में बिना किसी शर्त के छूट दी गई हो उन्हें स्वीकार किया जाएगा ।

18. भाषा केंद्र/पऊवि की निविदाओं में बोली लगाने वाले को भाग लेने से रोकना:

(i) यदि आवेदक द्वारा दी गई कोई भी सूचना बाद में गलत पाई जाती है तो उन्हें भाषा केंद्र में भविष्य में निविदाकरण/कोई भी कार्य करने से विवर्जित (डीबारमेंट) रखा जाएगा। यदि कार्य शुरू करने से पहले भी किसी भी उल्लंघन की सूचना , विभाग को प्राप्त होती है तो प्रभारी अभियंता ईएमडी एवं निष्पादन गारंटी की संपूर्ण राशि को पूर्ण रूप से जब्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। यदि ऐसा उल्लंघन प्रदर्शन प्रतिभूति जमा करने के बाद विभाग के संज्ञान में आता है , तो भाषा केंद्र द्वारा प्रदर्शन गारंटी , ईएमडी (यदि जारी नहीं किया जाता है) की पूरी राशि को विवर्जन के अतिरिक्त जब्त कर ली जाएगी।

(ii) यदि भाषा केंद्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णयानुसार बोलीकर्ता ने सामान्य वित्तीय नियम 2017 के नियम 151 और 175 (1) या इसके संशोधन [<https://doe.gov.in/ordercircular/general-financial-rules2017-0>] और/या कार्यों की प्रापण मैनुअल 2022 के खंड 7.5 और उप-खंड (अध्याय 7) या इसके संशोधन [<https://doe.gov.in/manuals/manual-procurement-works-updated-june-2022>] के अंतर्गत; और/या खंड 2.4 और उप-खंड (अध्याय 2) परामर्श और अन्य सेवाओं की प्रापण के लिए मैनुअल 2022 या इसके संशोधन [<https://doe.gov.in/divisions/manual purchase-consultancy-other-services>] का उल्लंघन किया है तो बोलीकर्ता/ठेकेदार को भाषा केंद्र/पऊवि में किसी

भी प्रापण/निविदाओं में भाग लेने से रोक दिया जाएगा। इस संबंध में भापअ केंद्र के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और बोलीकर्ता पर बाध्यकारी होगा ।

- (iii) बोलीकर्ताओं को स्पष्ट रूप से उल्लिखित करना चाहिए कि क्या उन्हें किसी अवधि के लिए बोली लगाने से रोका गया है या किसी कार्य को निम्नल प्रदर्शन के कारण समाप्त कर दिया गया है या उन्हें क्लाइंट एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि किसी सरकारी, अर्ध-सरकारी क्लाइंट के संबंध में किसी कार्य को पूरा होने से पहले ही छोड़ दिया गया है। भापअ केंद्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस मामले की समीक्षा की जाएगी तथा वे यह तय करेंगे कि बोली लगाने पर रोक वर्तमान कार्य के लिए लागू होता है या नहीं।

19. कार्य को पूरा करने की अवधि की गणना कार्य शुरू करने के लिए लिखित आदेश मिलने के 15वें दिन से निविदा दस्तावेजों में यथा उल्लिखित , यदि कोई हो , चरणबद्ध तरीके के अनुसार होगी ।
20. निविदा को निविदा के ऑन लाइन प्रस्तुतीकरण के बंद होने की आखरी तारीख से () दिनों तक वैध रखा जाएगा।
21. यदि बयाना राशि के मूल दस्तावेज की प्राप्ति और निविदा खोलने की अंतिम तिथि को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित तिथि को अगले कार्य दिवस के लिए स्थगित माना जाएगा।
22. बयाना राशि के रूप में किसी अनुसूचित बैंक द्वारा लेखा अधिकारी , भापअ केंद्र , मुंबई बैंक विवरण सहित (यदि आवश्यक हो तो), भारतीय स्टेट बैंक, भापअ केंद्र, ट्रांबे, शाखा आईएफएससी:SBIN0001268के नाम से जारी किए गए आवधिक जमा रसीद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/ पे आर्डर की मूल प्रति प्रस्तुति की जानी होगी। बयाना राशि का एक भाग बैंक गारंटी के रूप में भी स्वी कार्य है । ऐसे मामले में बयाना जमा की कम से कम 50% राशि अथवा रु. 20.00 लाख, जो भी कम हो , उक्त निर्धारित रूप में होनी चाहिए तथा शेष राशि को निविदा दस्तावेज के परिशिष्ट के अनुसार किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार किया जा सकता है । इसके अलावा, ईएमडी की कागजी प्रति उक्तर क्रमांक 1 में उल्लेख किए गए स्थान पर सीलबंद लिफाफे में जमा की जानी चाहिए। लिफाफे के ऊपर कार्य का नाम तथा एनआईटी संख्या लिखी होनी चाहिए।
- इसके अतिरिक्त। मूल ईएमडी तथा निविदा स्वी कृति दस्ता वेज वरीयतः व्यक्तिगत रूप से जमा किए जाने चाहिए। इन्हें प गेट पर रखे ड्रॉप बॉक्स में नहीं डाला जाना चाहिए। तथापि डाक अथवा कुरियर से प्रेषित दस्तावेजों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते वे क्रम सं. 1 में दिए गए उक्त पते पर निर्धारित तिथि एवं समय के भीतर प्राप्त हुए हों। ईएमडी को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि के भीतर ईएमडी प्रस्तुत न करने पर बोलीकर्ता की वित्तीय बोली को नहीं खोला जाएगा ।

23. जिस बोलीकर्ता की निविदा स्वीकार की जाती है उसे BARC द्वारा स्वीकृति पत्र (LOA) जारी किया जाएगा। LOA प्राप्त होने के बाद, बोलीकर्ता को संविदा के निविदा मूल्य के 3% के बराबर राशि प्रदर्शन सुरक्षा के रूप में जमा करनी होगी और BARC द्वारा प्रदर्शन सुरक्षा स्वीकार करने के बाद, बोलीकर्ता को कार्य आदेश दिया जाएगा। स्वीकृति पत्र जारी करने की तारीख से प्रदर्शन गारंटी जमा करने के लिए अनुमत समय 15 दिन होगा। यह अवधि बोलीकर्ता के लिखित अनुरोध पर EIC द्वारा 1 से 15 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए प्रदर्शन गारंटी राशि के 0.1% प्रति दिन की दर से विलंब शुल्क के साथ बढ़ाई जा सकती है। 3% की प्रदर्शन सुरक्षा बैंक गारंटी (यदि प्रदर्शन सुरक्षा 1.00 लाख रुपये से अधिक है), अनुसूचित बैंकों की सावधि जमा रसीदों या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में भी स्वीकार की जा सकती है। यदि स्वीकृति पत्र जारी किया जाता है, तो एल 1 बोलीकर्ता की ईएमडी को प्रदर्शन सुरक्षा की स्वीकृति के बाद लौटाया/वापस कर दिया जाएगा। यदि स्वीकृति पत्र जारी नहीं किया जाता है तो एल1 बोलीकर्ता की ईएमडी BARC द्वारा कार्य रद्द करने या प्रस्ताव की वैधता समाप्त होने के बाद, जो भी पहले हो, वापस कर दी जाएगी/लौटाई जाएगी। एल2 और अन्य बोलीकर्ताओं की ईएमडी BARC के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तुलनात्मक वित्तीय विवरण (सीएसटी) की स्वीकृति के बाद वापस कर दी जाएगी/लौटाई जाएगी। दो/तीन बोली प्रणाली के मामले में , तकनीकी बोली मूल्यांकन के दौरान असफल बोलीकर्ताओं की ईएमडी CPPP में तकनीकी बोली मूल्यांकन अपलोड करने के 30 दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी।

24. बोलीकर्ता को अपने संविदाकी उचित पूर्ति के लिए प्रतिभूति जमा के माध्यम से प्रस्तुत करनी होगा, ऐसी राशि कार्य के निविदा मूल्य का 2.5% (ढाईप्रतिशत) होगी। प्रतिभूति जमा ठेकेदारों के चालू प्रतिभूति जमा बिल की सकल राशि से 2.5% की दर से कटौती द्वारा तब तक वसूली जाएगी जब तक पहले ही जमा की गयी प्रतिभूति जमा के साथ उक्त राशि कार्य के निविदा मूल्य का 2.5% हो जाए। प्रतिभूति जमा, सरकारी प्रतिभूतियां, अनुसूचित बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक की आवधिक जमा पावतियों के रूप में भी स्वीकार की जाएगी। इन्हें लेखा अधिकारी, भापअ केंद्र, मुंबई के नाम पृष्ठांकित किया जाएगा।

25. यदि सफल निविदाकार कार्य प्रारंभ करने की अनुबंधित तारीख को या उससे पहले निर्धारित निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं तो विभाग (भापअ केंद्र) किसी अन्य अधिकार या उपाय पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के, उक्त बयाना राशि को पूर्ण रूप से जब्त कर सकते हैं और मौजूदा जीएफआर के अनुसार आगे की रोक प्रक्रिया भी कर सकते हैं।

26. निविदा की स्वीकृति विभाग के पास सुरक्षित है जो सबसे कम मूल्य की निविदा को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है एवं इसके पास किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार है। वे सभी निविदाएं, जिनमें निर्धारित शर्तें पूरी न की गयी हों अथवा जो किसी भी दृष्टि से अपूर्ण होंगी उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

27. निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार की सिफ़ारिश करना सख्त मना है , जो ठेकेदार सिफ़ारिश करेगा उसकी निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी ।
28. निविदा स्वीकृत होने पर ठेकेदार द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के नामों की सूचना प्रभारी अभियंता को दे दी जाए, जो प्रभारी अभियंता से निर्देश लेने के लिये जिम्मेदार होंगे ।
29. विभाग समस्त निविदा अथवा निविदा के किसी भाग को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं निविदाकार अपने द्वारा दी गयी दर पर कार्य करने के लिए बाध्य हैं।
- 30.i.(जीएसटी का अर्थ होगा वस्तु एवं सेवा करकेंद्र-, राज्य और अंतरराज्य-।
- ii) अनुसूची-बी में उद्धृत सभी निविदा दरें जी. एस. टी. रहित होंगी, लेकिन इसमें निविदा प्राप्त करने की अंतिम निर्धारित (तिथि विस्तार सहित)पर लागू अन्य सभी कर , रॉयल्टी, लेवी या उपकर शामिल होंगे।
- iii) इस कार्य संविदा पर चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित लागू होने वाला जीएसटी, इस कार्य के लिए जीएसटी भुगतान के मूल दस्तावेजी प्रमाण के प्रस्तुत करने पर, भापअ केंद्र द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य है। ईपीएफ और ईएसआईसी भुगतानों की प्रतिपूर्ति नीचे दिए गए खंडों के अनुसार की जाएगी। इस संविदा के लिए इनपुट या आउटपुट के संबंध में कोई अन्य कर , बीमा व्यय, प्रभारों बोलीकर्ता द्वारा देय होगा और सरकार इसके संबंध में किसी भी दावे को स्वीकार नहीं करेगी।
- iv) बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे जीएसटी की पालना करते हैं और उनकी उद्धृत कर संरचना/दरें जीएसटी नियम के अनुसार हैं।
- v) ठेकेदार को भुगतान किए जाने वाले प्रत्येक बिल से जीएसटीपर 2% टीडीएस किए गए कार्य के सकल मूल्यर के @1% की दर पर श्रमकल्याण उपकर काटा जाएगा
- vi) ठेकेदार को भुगतान किए गए प्रत्येक बिल में से आयकर एवं उपकर काटे जाएंगे ।
- vii) ठेकेदारको ईपीएफ और ईएसआईसी के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए तथानियमानुसार अथवा यदि विभाग की मांग है तो ठेकेदार ठेके के कामगारों के ईपीएफ एवं ईएसआईसी भुगतान संबंधित विभाग को करेगा और जब विभाग इस बात से संतुष्ट हो जाए कि इसका भुगतान वास्तव में और सही रूप से कर दिया गया है तो विभाग ठेकेदार को इसकी प्रतिपूर्ति कर देगा। बोलीकर्ता अपनी दरों में ठेकेदार को सभी पात्र कार्मिकों/कामगारों/मजदूरों के ईपीएफ और ईएसआईसी पर विचार नहीं करेगा।
- ठेकेदार सभी पात्र कर्मचारियों/श्रमिकों/कामगारों के संबंध में इपीएफ अधिनियम , 1952 के सभी प्रावधानों का पालन करेगा तथा प्रत्येक आरए बिल के साथ इसका दस्तावेजी प्रमाण नियमित रूप से जमा कराएगा।

viii) सरकारी निदेशों के अनुसार कोई अन्य कर/उपकर की कटौती ठेकेदार को समय-समय पर भुगतान किए जाने वाले प्रत्येक बिल में से की जाएगी ।

31. यदि कोई निविदाकार वैधता की अवधि से पहले निविदा वापस लेता है अथवा निविदा की निबंधनों और शर्तों में ऐसे संशोधन करता है जो कि विभाग को मान्य न हो तो सरकार अन्य किसी अधिकार या कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संपूर्ण बयाना राशि की 50% (पचास प्रतिशत) धनराशि को ज़ब्त करने के लिए स्वतंत्र होगी ।

इसके अतिरिक्त निविदाकार को कार्य की पुनः निविदाकरण प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

32. सफल निविदाकार को कार्य सौंपने के पश्चात , ठेकेदार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समय सारणी एवं नकदी प्रवाह विवरण प्रस्तुत करेगा जो करार का एक भाग होगा ।

33. जिन सफल निविदाकारों की निविदा स्वीकार की जाएगी उन्हें बीएआरसी के अंदर काम करने वाले अपने सभी कार्यकर्ताओं जैसे: इजीनियरों , पर्यवेक्षकों एवं मज़दूरों का अपने खर्च पर पुलिस की विशिष्ट शाखा द्वारा जारी पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र (पीवीसी) प्राप्त करना आवश्यक होगा और जिसे तदनुसार ही कोट किया जाए । पीवीसी तीन वर्ष के लिए वैध रहेगा ।

यदि सुरक्षा जांच के परिणामस्वरूप ठेकेदार/कंपनी/फर्म/मालिक और/अथवा उनके ठेके के कार्मिक के विरुद्ध कोई प्रतिकूल चार्टर और पूर्ववर्ती अभ्युपक्तियां/ अधिसूचना प्राप्त होती है तो कोई कारण बताए बिना/कारण बताओं नोटिस दिए बिना ठेकेदार की सेवाएं तुरंत समाप्त करने का अधिकार भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के पास सुरक्षित हैं । भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा उक्त कार्रवाई के फलस्वरूप परिस्थितियों के तहत किसी नुकसान/दायित्वा हेतु दावे का अधिकार ठेकेदार के पास नहीं होगा । डीएई/बीएआरसी द्वारा समय-समय पर पऊवि/भापअ केंद्र द्वारा जारी सुरक्षा अनुदेशों के पालन/अनुसरण में ठेकेदार की ओर से होने वाली असफलता हेतु सरकार के अधिकार में मौजूद कार्यनिष्पानदन सुरक्षा और/अथवा सुरक्षा जमा का कुछ भाग/पूर्ण भाग ज़ब्त करने का अधिकार भी भापअ केंद्र के पास सुरक्षित है।

अनुदेश:

34. ठेकेदार <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> के साथ पंजीकृत होना चाहिए। जो ठेकेदार ऊपर उल्लेखित वेबसाइट पर पंजीकृत नहीं होंगे, उन्हें पंजीकृत होने की आवश्यकता है।

35. इच्छुक बोलीकर्ता के पास निविदा दस्तावेज (एक्सल/वर्ड फार्मेट) को प्रापणने/डाउनलोड करने हेतु अनुरोध करने के लिए वैध क्लास- III डिजिटल हस्ताक्षर होने चाहिए। अनिवार्य दस्तावेजों तथा ईएमडी/ निर्धारित प्रारूप में विधिवत हस्ताक्षरित बोली प्रतिभूति घोषणा की स्कैन की गई प्रति को अपलोड करने के पश्चात् ही बोली प्रस्तुत की जा सकती है।
36. उपरोक्तग उल्लिखित समय तथा तारीख तक निविदाएं प्राप्तो हो जानी चाहिए। उपरोक्तक उल्लिखित समय एवं तारीख पर भाग 'क' (तकनीकी बोली) खोला जाएगा। भाग 'क' खोलने के पश्चात्, मूल्यांकन के लिए ठेकेदारके जारी पूर्ण किए गए कार्य क्षेत्र एवं कार्यालय का निरीक्षण किया जाएगा और उनके दस्तावेजों से संबंधित तकनीकी वाणिज्यिक बोली कामूल्यांकन किया जाएगा और तदनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदाकारों को योग्य/अयोग्य घोषित किया जाएगा। तब योग्यताप्राप्त सफल निविदाकारों का निविदा का भाग 'ख' (वित्तीय बोली) को अधिसूचित तारीख एवं समय पर खोला जाएगा। सीपीपी पोर्टल वेबसाइट के माध्यम से सभी बोली कर्ताओं को भाग 'ख' (वित्तीय बोली) खुलने की तारीख सूचित की जाएगी।
37. वित्तीय प्रस्ताव/वाणिज्यिक बोली/बीओक्यू प्रारूप इस निविदा दस्तावेज के साथ <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर BOQ_XXXX.xls के रूप में उपलब्ध कराया गया है। बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे इस BOQ_XXXX.xls को वैसे ही डाउनलोड करें और अपने ऑफर/दरों को अनुमत कॉलम में उद्धृत करें और इसे वाणिज्यिक बोली में अपलोड करें। बोलीकर्ता किसी भी तारीख के से डाउनलोड किए गए मूल्य बोली टेम्पलेट में छेड़छाड़/संशोधन नहीं करेगा। यदि इसमें किसी भी प्रकार से छेड़छाड़/संशोधन पाया जाता है, तो निविदा को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाएगा।
38. निविदा खुलने की तारीख के दिन, ठेकेदार लॉग इन करके बोली खुलने के बाद उसकी स्थिति देख सकते हैं।
39. ठेकेदार को प्रत्येक वस्तु की दर कोट करना सुनिश्चित करना चाहिए। आंकड़ों में दर उद्धृत करने के लिए बनाया गया कॉलम स्काई ब्लू रंग में दिखाई देता है। किसी भी सेल का चयन करते समय एक चेतावनी अनिवार्य रूप से ऐसी सभी कोशिकाओं को किसी भी मान से भरने के लिए प्रकट होती है, जिसमें "0" (शून्य) शामिल है।
- टिप्पणी :
- निविदा जमा करने से पहले सभी एनआईटी मानदंडों को पूरा करने के लिए संभावित एजेंसियों को खुद को संतुष्ट करना होगा। निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाली एजेंसियों की निविदा पर विचारन करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है।
40. योग्य स्रोत देश:
- भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के किसी भी बोलीकर्ता को सार्वजनिक प्रापण विभाग,

व्ययविभाग, वित्तमंत्रालय, सरकारद्वाराजारीआदेश (सार्वजनिकप्रापणसंख्या 1) औरआदेश (सार्वजनिकप्रापणसंख्या 2) कापालनकरनाहोगा।भारतएफ.सं. 6/18/2019-पीपीडीदिनांक 23.07.2020 औरसमय-समयपरइसकेपरिशिष्टकेतहत।साथही, बोलीकर्ताकोनिविदादस्तावेजके 'परिशिष्ट-एफ'

मेंदिएगएप्रोफार्माकेअनुसारएकप्रमाणपत्रप्रदानकरनाहोगा।यदिइसतरहकीघोषणायाप्रमाणपत्रबोली जमाकरनेकेसमययाअनुबंधप्रदानकरनेकेबादकिसीभीसमयगलतयागलतपायाजाताहै, तोउक्तअनुबंधकोसमाप्तकरदियाजाएगा, साथहीऐसीअन्यकारवाइयोंकेसाथजोभारतकेप्रासंगिककानूनकेतहतअनुमेयहोसकतीहैं।

41. यह निविदा एक कार्य संविदा होने के कारण एमएसएमई फर्मों के लिए कोई वरीयता/छूट जून 2022 में अद्यतन किए गए कार्यों का प्रापण नियमावली के अनुसार इस निविदा पर लागू नहीं होती है।

42. मूल प्रति से स्कैन किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची जिन्हें बोलीकर्ता द्वारा बोली प्रस्तुतीकरण की अवधि के भीतर अपलोड करना है :-

- I) पेशेवरचार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित टर्नओवर जिस पर सीए काविशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यू. डी. आई. एन.) हो ।
- II) पेशेवर चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वाराप्रमाणित लाभ और हानि विवरण जिस पर सीए कावैध विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यू. डी. आई. एन.) हो।
- III) नवीनतम बैंक ऋणशोधन क्षमता प्रमाणपत्र।
- IV) निर्माणसंयंत्र एवं मशीनरी की सूची ।
- V) तकनीकी कर्मचारियों की सूची ।
- VI) प्रमाणपत्र:
 1. पंजीयन प्रमाणपत्र, यदि कोई हो तो ।
 2. कार्य अनुभव प्रमाणपत्र/निष्पादन प्रमाणपत्र ।
 3. जीएसटी पंजीकरण का प्रमाणपत्र ।
 4. पैन (स्थायी खाता संख्या) पंजीयन
 5. ईपीएफ एवं ईएसआईसी के लिए पंजीयन प्रमाणपत्र ।

VII) बोलीकर्ताकेलेटरहेडपरवचनदेनाकि

"पात्रसमानकार्यकिसीअन्यठेकेदारकेमाध्यमसेबैंकटूबैंकआधारपरनिष्पादितनहींकिए गएहैं।

VIII) बोलीकर्ता को भागएकेखंड II औरखंड - 11 अनुबंध की सामान्य शर्तों के अनुसार वचनबद्धता ।

IX) पिछलेसातवर्षोंमेंपूर्णकिएगएसमानकार्योंकीसूचीजिसमें i) एजेंसीजिसके लिएनिष्पादितकियागयाहै, ii) कार्यकामूल्य, iii)

निर्धारित और पूरा होने का वास्तविक समय,

iv)

ग्राहकों से योग्य समान कार्यों का प्रदर्शन प्रमाणपत्र।

- X) चालू कार्यों की सूची दर्शाती है : i) एजेंसी ii) कार्यकामूल्य, iii) पूरा होने का निर्धारित समय / वर्तमान स्थिति।
- XI) वचनबद्ध/घोषणा-अनुलग्नक 1 से अनुलग्नक- 4 (अंग्रेजी एनआईटी में दर्शाए अनुसार)
- XII) किसी भी क्ला इंट फर्म द्वारा बोलीकर्ता के निम्न कोटि के प्रदर्शन के कारण प्रतिबंधित/काली सूची में डाले गए /समाप्ति के कार्यों की सूची। यदि ऐसा कोई प्रतिकूल मामला नहीं है तो एक शून्य सूची संलग्न की जाए। यदि कोई सूची प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो यह माना जाएगा कि बोलीकर्ता इस बात की पुष्टि कि है कि उन्होंने ऐसा कोई प्रतिकूल कार्य नहीं किया है।
- XIII) इस कार्य के लिए बयाना जमा राशि (ईएमडी)।

टिप्पणी : तकनीकी मूल्यांकन के दौरान लापता दस्तावेज, यदि कोई हो, निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है।

43. बोलीकर्ता को निम्नलिखित भरना आवश्यक है:

क) तकनीकी बोली

ख) मानव शक्ति और मशीनरी का विवरण (अनुलग्नक 'ए' अनुसार)

ग) अनुसूची - 'बी' (वित्तीय बोली)

44. ई-बैंक गारंटी (ई-बी.जी.) भी स्वीकार्य है और बैंक गारंटी के स्थान पर इसे वरियता दी जाती है।

45. पात्र स्रोत देश :

भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीकर्ता को सार्वजनिक प्रापण प्रभाग , व्यवय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एफ सं. 6/18/2019- PPD दिनांकित 23.07.2020 के माध्यम से जारी आदेश (सार्वजनिक प्रापण संख्याक 1) तथा (सार्वजनिक प्रापण संख्याक 2) तथा उसके समय-समय पर जारी अनुशेष का अनुपालन करना होगा। साथ ही , बोलीकर्ता को परिशिष्ट- 'एफ' में दिये प्रोफार्मा के अनुसार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि बोली प्रस्तुत करने के दौरान किसी भी समय या ठेका प्रदान किये जाने के बाद यह पाया जाता है कि उक्त घोषणा या प्रमाणपत्र गलत है या त्रुटिपूर्ण है, तो भारत में संबंधित कानून के तहत अनुमेय अन्यष कार्रवाइयों सहित उक्ती ठेके को समाप्त कर दिया जाएगा।

परिशिष्ट-एफ

पात्र स्रोत देशों हेतु प्रमाणपत्र का प्रपत्र

(बोलीकर्ता के पत्रशीर्ष पर प्रस्तुत किया जाना है)

मैंने/हमने..... (बोलीकर्ता का नाम) , भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीकर्ता से प्रापण पर प्रतिबंध संबंधी एनआईटी खंड को पढ लिया है तथा मैं/हम ऐसे देश से नहीं हैं या ऐसे देश से हैं (देश का नाम लिखें.....) जो सक्षम प्राधिकारी के अधीन पंजीकृत हैं तथा वैध पंजीकरण के प्रमाणस्वरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र इसके द्वारा प्रस्तुत करते हैं।

मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि मैं/हम इस संबंध में समस्त अपेक्षाओं को पूर्ण कर रहे हैं तथा एनआईटी खंड के अनुसरण में बोलीकर्ता के रूप में विचार किये जाने हेतु पात्र हैं।

मैं/हम नियोक्ता के इस अधिकार को भी स्वीकार करते हैं कि यदि बोलीकर्ता ऊपर उल्लेखित देश से हैं तथा उन्होंने ने अपनी बोली के साथ उक्ति प्रमाणपत्र संलग्न नहीं किया है तो नियोक्ता द्वारा बोलीकर्ता को अयोग्य माना जायेगा।

मैं/हम नियोक्त के इस अधिकार को स्वीकार करते हैं कि बोलीकर्ता द्वारा गलत घोषणा या प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने पर, कानून के तहत अनुमेय अन्य कार्रवाइयों सहित बोलीकर्ता की प्रतिभागिता पर पाबंदी लगा दी जायेगी।

बोलीकर्ता के हस्ताक्षर

टिप्पणियाँ:

1. **इच्छुक एजेंसियां** **पंजीकरण और बोली जमा करने के लिए वेबसाइट**
<https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर जा सकती हैं।
2. निविदा दस्तावेजों से संबंधित सहायता/स्पष्टीकरण के लिए संपर्क करें-
3. ई-निविदा में पंजीकरण और भागीदारी में सहायता के लिए संपर्क करें:
 - 2.1) २४x७ सीपीपी पोर्टल हेल्पडेस्क -0120-4001002,0120-4001005,0120-6277787
 - 2.2) लोकल हेल्पडेस्क-श्री.भूषण/श्री.मयूर 02225487480
 - 2.3) email at support-eproc@nic.in
4. बोलीकर्ता जो साइट पर जाना चाहते हैं, वे निम्नलिखित ईमेल आईडी पर विज़िटर के नाम और उनके आईडी विवरण (सरकार द्वारा जारी आईडी जैसे आधार कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट/वोटर आईडी कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस, आगंतुक के विवरण के साथ ईमेल करेंगे। बीएआरसी का दौरा करते समय मूल आईडी ले जाना है), फर्म का पता।
5. साइट विज़िट के लिए अनुरोध भेजने के लिए ईमेल आईडी
सेवा में: arun@barc.gov.in, mrudali@barc.gov.in
प्रतिलिपि: nairds@barc.gov.in, vksahu@barc.gov.in, mpradhan@barc.gov.in
b) सहायता/स्पष्टीकरण के लिए संपर्क: (022) 25595121/23065/5593067/25591920/25591916. Fax: (022)25505310

यदि एनआईटी के अंग्रेजी एवं हिंदी पाठ के बीच कोई अंतर हो तो अंग्रेजी पाठ को सही माना जाए।

मुख्य अभियंता,
सिविल इंजीनियरी प्रभाग,
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से

अनुलग्न क-1

निविदा सवीकृति पत्र
(कंपनी के पत्रशीर्ष पर प्रस्तुत किया जाएगा)

दिनांक :

प्रति,
मुख्य अभियंता,

सिविल इंजीनियरी प्रभाग,
भापअकेंद्र, ट्रांबे,
मुंबई-400 085

विषय : निविदा की शर्तें एवं निबंधनों की स्वीकृति ।

निविदा संदर्भ सं. बीएआरसी/ सीईडी/ईटी/ 2024-2025 दिनांक: .2024

निविदा/ कार्य का नाम: -

महोदय,

1. मैंने/हमने उपर्युक्त निविदा/कार्य के लिए आपके विज्ञापन में दिए गए अनुसार उपर्युक्त वेबसाइट (वेबसाइटों) <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> और www.barc.gov.in से निविदा दस्तावेज डाउनलोड/प्राप्त कर लिए हैं।
2. मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने भापअ केंद्र की वेबसाइट <http://barc.gov.in/tenders/> पर अन्य सूचना आदि खंड के तहत उपलब्ध निविदा दस्तावेजों (एएंडसीईडी निविदा दस्तावेज , अनुलग्नक/अनुलग्नकों/ अनुसूची/ अनुसूचियों, शुद्धिपत्र, नागरिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों के लिए तकनीकी विनिर्देश, निर्माण कार्यसंविदा इत्यादि हेतु निर्माणकार्य संरक्षा नियमावली आदि सहित) के संपूर्ण निबंधन और शर्तों को पढ़ लिया है।), जो संविदा करार का हिस्सा होगा और मैं/हम इसमें निहित निबंधनों/शर्तों/खंडों का पालन करूंगा/ करेंगे।
3. इस स्वीकृति पत्र को प्रस्तुत करते समय आपके विभाग/संगठन द्वारा समय-समय पर जारी शुद्धिपत्र /शुद्धिपत्रों को भी ध्यान में रखा गया है।
4. मैं/हम एतद द्वारा उपर्युक्त निविदा दस्तावेज /दस्तावेजों/ शुद्धिपत्र /शुद्धिपत्रों की निविदा शर्तों को उसकी संपूर्णता/समग्रता के साथ बिना शर्त स्वीकार करता हूं /करते हैं।
5. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि हमारी फर्म को किसी भी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।
6. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि हमारे फर्म द्वारा प्रस्तुत की गई समस्त जानकारी सत्यत एवं सही है तथा इस जानकारी के गलत/मिथ्या होने पर या उल्लंघन पाए जाने पर विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई सहित अन्यत किसी अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आपका विभाग/संगठन कोई भी नोटिस दिए बिना या कारण बताए बगैर बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर देगा या ठेके को समाप्त कर देगा।

भवदीय,

(आधिकारिक मुहर के साथ बोलीकर्ता के हस्ताक्षर)

अनुलग्नक2

जो कोई भी इससे संबंधित है उसके लिए

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 206 एबी के अनुसार बचन देना
तत्काल दो पूर्ववर्ती वर्षों से आयकर रिटर्न दाखिल करने की पुष्टि की घोषणा।

मैं, _____ [नाम], व्यक्ति/मालिक/साझेदार/निदेशक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की हैसियत से _____ [इकाई का नाम] पैन _____ के साथ, आय अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आवश्यक के रूप में निम्नलिखित घोषणा करता हूँ (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित):

1. कि मैं/हम व्यक्तिगत/मालिक/साझेदार/निदेशक के रूप में यह घोषणा करने के लिए अधिकृत हूँ/हैं।
2. मैं/हम इसके द्वारा घोषित और पुष्टि करते हैं कि मैं/हम आईटी अधिनियम की धारा 206एबी में प्रदान की गई 'निर्दिष्ट व्यक्ति' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं।
3. मैंने/हमने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के अनुसार नियत तारीख के भीतर वित्तीय वर्ष 20-21 और वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए आय की विवरणी विधिवत दाखिल की है - हां/नहीं (जो लागू न हो उसे काट दें)
4. यदि रिटर्न भरा गया है तो विवरण इस प्रकार हैं:

मैं/हम, _____ जिनके पास पैन _____ है, एतद्वारा पुष्टि करता हूँ कि धारा 206 एबी का प्रावधान मेरे/हमारे मामले में लागू नहीं है क्योंकि मैं/हम आयकर रिटर्न भरने में नियमित हैं/हैं। पावती संख्या और पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख का विवरण (दस्तावेजों के प्रमाण के साथ) नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष / (आकलन वर्ष)	फाइल करने की तिथि	आयकर रिटर्न आईटीआर पावती संख्या
1	2021-22 / (2022-23)		
2	2022-23 / (2023-24)		

5. मैं/हम उपरोक्त जानकारी की गलत रिपोर्टिंग के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी कर, ब्याज, दंड आदि सहित किसी भी हानि/दायित्व के लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी लेते हैं।

उपरोक्त सभी अभ्यावेदन सत्य और सही हैं, और हम/मैं इसके समर्थन में किसी भी समय आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए सहमत हैं।

की ओर से _____

<< अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम >>

<< पदनाम >>

संस्था का नाम:

अनुलग्न क-3

फर्मों/एजेंसियों द्वारा जीएसटी उपक्रम
(कंपनी के लेटर हेड पर दिया जाए)

निविदा/कार्य का नाम:

प्रिय महोदय,

1. कि बोली लगाने वाले जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं और जीएसटी प्रावधानों के अनुरूप हैं।
2. जीएसटी प्रावधानों का अनुपालन न करने और किसी भी इनपुट क्रेडिट में रुकावट के मामले में, बोली लगाने वाला BARC को क्षतिपूर्ति देने के लिए जिम्मेदार होगा।
3. बोली लगाने वाले द्वारा सभी इनपुट क्रेडिट BARC को दे दिए गए हैं।

जगह:

तारीख:

भवदीय,

(आधिकारिक मुहर के साथ बोलीकर्ता के हस्ताक्षर)

(कंपनी के लेटर हेड पर दिया जाए)

निविदा/कार्य का नाम:

प्रिय महोदय,

बोलीकर्ता के पत्र शीर्ष पर निम्ना_नुसार वचनबद्ध है :

“हम_____ (बोलीकर्ता का नाम) वचन देते हैं कि हम निविदा संख्या _____ के लिए पीपी-एलसी पॉलिसी के अनुसार ‘श्रेणी I स्था_नीय आपूर्तिकर्ता’ हेतु अर्हक होने की अनिवार्य ‘स्था_नीय सामग्री (एलसी) की आवश्यक_कता को पूरा करते हैं। बोली में स्थायनीय सामग्री का प्रतिशत _____% है। ”